न्यायालय संभागीय आयुक्त, बीकानेर संभाग, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी डॉ. नीरज के. पवन, आई.ए.एस

अपील संख्या: 133/2014 एल.आर.एक्ट
GCMS No. 2014/00160

इक्तर सिंह पुत्र श्री ईसर सिंह जाति जटसिख निवासी चक 27 एपीडी तहसील अनूपगढ़ जिला श्रीगंगानगर।

— अपीलान्ट

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार (राजस्व) अनूपगढ़ जिला श्रीगंगानगर।
2. क्षेत्रीय वन अधिकारी, अनूपगढ़।

— रेस्पोन्डेंट्स

उपस्थितः श्री सत्यपाल सहू अभिभाषक अपीलांट
मोहम्मद इम्तियाज अली अभिभाषक रेस्पोडेंट सं.1

# निर्णय

दिनांक 07.09.2022

यह अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत न्यायालय उपखण्ड अधिकारी अनूपगढ़ के आदेश दिनांक 12.02.2014 के विरुद्ध प्रस्तुत हुई है। अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि –

1– विवादित कृषि भूमि वाके चक 27 ए.पी.डी. तहसील अनूपगढ़ के मु. नं. 07 पत्थर नंबर 313/400 के किला नंबर 1 ता 6 तादादी 6 बीघा अनकमाण्ड अराजी राज भूमि थी, जिसका आवंटन आदेश अपीलांट को बतौर स्मॉल पेच दिनांक 27.09.1977 को जारी हुआ। उक्त आवंटनशुदा कृषि भूमि का मौके पर कब्जा दिया जाकर मुताबिक आवंटन राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद किया गया। उक्त क्षेत्र उपनिवेशन क्षेत्र से राजस्व विभाग में हस्तांतरित होने पर तैयार की जाने वाली जमाबंदी में सहवन से अपीलांट के नाम की जगह पर वन विभाग के

संभागीय आयुक्त
बीकानेर

नाम उक्त भूमि दर्ज कर दी, जिसके विरूद्ध अपीलांट ने उपखण्ड अधिकारी अनूपगढ़ के समक्ष प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के तहत पेश की। उपखण्ड अधिकारी द्वारा अपीलांट के प्रार्थना पत्र दिनांक 12.02.2014 को खारिज कर दिये जाने पर व्यथित होकर अपीलांट ने इस न्यायालय में अपील प्रस्तुत की है।

2— विद्वान अभिभाषक अपीलांट श्री सत्यपाल सहू ने अपनी बहस में कथन किया है कि वादगत कृषि भूमि वाके चक 27 ए.पी.डी. तहसील अनूपगढ़ के मु. नं. 07 पत्थर नंबर 313/400 के किला नंबर 1 ता 6 तादादी 6 बीघा अनकमाण्ड अराजी राज भूमि थी, जिसका आवंटन आदेश अपीलांट को बतौर स्मॉल पेच दिनांक 27.09.1977 को जारी हुआ। उक्त आवंटनशुदा कृषि भूमि का मौके पर कब्जा दिया जाकर मुताबिक आवंटन राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद किया गया। उक्त क्षेत्र उपनिवेशन क्षेत्र से राजस्व विभाग में हस्तांतरित होने पर तैयार की जाने वाली जमाबंदी में सहवन से अपीलांट के नाम की जगह पर वन विभाग के नाम उक्त भूमि दर्ज कर दी, जिसके विरूद्ध अपीलांट ने उपखण्ड अधिकारी अनूपगढ़ के समक्ष प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के तहत पेश की। उपखण्ड अधिकारी द्वारा अपीलांट के प्रार्थना पत्र दिनांक 12.02.2014 को खारिज कर दिया गया जबकि वन विभाग द्वारा स्पष्ट रूप से यह अंकित किया गया है कि विवादित भूमि कभी भी वन विभाग को आवंटित नहीं हुई। अपीलांट का आवंटन कभी निरस्त नहीं हुआ। वन विभाग का वादगत भूमि पर कभी कब्जा नहीं रहा। अधिनस्थ न्यायालय ने आराजी राज भूमि को सक्षम अधिकारी द्वारा आवंटन किये जाने के बाद सहवन से दर्ज हुए गलत इंद्राज को दुरूस्त करने की बजाय बिना ज्यूडीशियल माइण्ड एप्लाई करते हुए अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया। अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधिनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन निर्णय दिनांक 12.02.2014 निरस्त किया जावे।

3— विद्वान राजकीय अभिभाषक ने बहस के दौरान कथन किया कि अपील अपीलांट में वर्णित भूमि वन विभाग के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। राजस्व ग्रुप–6 जयपुर के आदेश दिनांक 23.09.2011 के अनुसार जो भूमि वन विभाग के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है, उस भूमि को शुद्धिकरण के नाम पर अन्य किसी के नाम दर्ज नहीं किया जा सकता। अंतः अपील अपीलांट खारिज योग्य है।

संभागीय आयुक्त
बीकानेर

4— हमने अधिनस्थ न्यायालय का उपलब्ध अभिलेख तथा उभय पक्ष की बहस का ध्यान पूर्वक अवलोकन एवं मनन किया। अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय एवं उपलब्ध दस्तावेजों के अवलोकन से प्रतीत होता है कि अधिनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी अनूपगढ़ ने अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों का गहनता से अवलोकन नहीं किया। अतः अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार कर अधिनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी अनूपगढ़ जिला श्रीगंगानगर को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित (Remand) की जाती है कि अधिनस्थ न्यायालय दोनो पक्षों को सुनकर एवं दस्तावेजों की गहनता से जांच कर विधिसम्मत निर्णय पारित करें।

5— तदानुसार अपील अपीलांट निर्णित शुमार होकर नम्बर से कम हो। निर्णय की प्रति अपील पत्रावली में शामिल की जाकर पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 07.09.2022 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ. नीरज के. पवन)
संभागीय आयुक्त
बीकानेर